



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 14 जुलाई, 2020

आषाढ 23, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या 7 / 2020 / 680 / तीस-4-2020

लखनऊ, 14 जुलाई, 2020

अधिसूचना

सा0प0नि0-45

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव के कारण घोषित लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल, माह मार्च एवं अप्रैल, 2020 हेतु धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन लोक सेवायान और मालयान पर देय कर के सम्बन्ध में संदेय शास्ति के भुगतान से छूट प्रदान करती हैं।

यह छूट केवल तभी प्रदान किया जायेगा, यदि माह मार्च एवं अप्रैल, 2020 के देय कर का भुगतान इस अधिसूचना के जारी किये जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर कर दिया जाता है। उक्त समय-सीमा के अन्तिम दिन अर्थात् 30 वें दिन अवकाश होने पर देय कर अगले कार्य दिवस को प्रदान किया जायेगा।

आज्ञा से,

राजेश कुमार सिंह,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 7/2020/680/XXX-4-2020, dated July 14, 2020 :

No. 7/2020/680/XXX-4-2020

Dated Lucknow, July 14, 2020

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) and in view of the lockdown declared due to spread of Corona Virus (Covid-19), the Governor is pleased to exempt from the payment of penalty payable under sub-section (3) of section 9 in respect of due tax for Public Service Vehicle and Goods Vehicle for March and April 2020.

This exemption will be provided only if the due tax of March and April, 2020 is paid within 30 days after issuance of this notification. Being leave-day of the last day of the said time limit, namely 30th day, the due tax will be provided on the next working-day.

By order,
RAJESH KUMAR SINGH,
Pramukh Sachiv.